भाग–2

(सम्बन्धित उप वन सरंक्षक द्वारा भरा जाना है)

7– परियोजना/स्कीम का स्थान	जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना, जनपद उत्तरकाशी।
(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(2) जिला	उत्तरकाशी
(3) वन प्रभाग	टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	आरक्षित वन भूमि– 2.25 है सिविल सोयम– — योग– 2.25 है
(5) वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम
(6) हरियाली का घनत्व	
(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों को परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एल0आर0एल0 एफ0, एफ0एल0आर0 –2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।
(8) भू–क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–क्षरण की सम्भावना नहीं है। भू–वैज्ञानिक को रिपोर्ट संलग्न है। (प्रमाण–पत्र पृष्ठ सं0 संलग्न है)
(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	
(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व? बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग ळे (यदि हां, क्षेत्र क व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)	नहीं (प्रमाण–पत्र पृष्ठ सं0 संलग्न है)
(11) क्या कोई वनस्पति की दुलर्भ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें।	नहीं
(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल /स्थान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो दें।	नहीं
8–प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि एंव सिविल सोयम भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जाचें गये विकल्पों के व्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या ळें	भूमि की मांग मानकों के अनुरूप न्यूनतम ळें
9– क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है।	नहीं
10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
11– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू खण्ड का आकार	प्रस्ताव में संलग्न है।
12– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं दर्शाता मैप।	संलग्नक पृष्ठ सं0
13– रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
14– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	

15– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र का उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
15– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (11) (12) 8 और 9 में पूछे गयें	संलग्न है।
16– विभाग/जिला प्रोफाइल	वन विभाग/उत्तरकाशी
17– जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	844.792 वर्ग किमी
18– जिले का वन क्षेत्रफल	622.0897 वर्ग किमी
19– मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	51/124.139 है0
20– 1980 से जिला/विभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	171.09 है0
21– दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	13.80 है0
22– वनेत्तर भूमि पर	
23– अब प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
24– वन भूमि पर	
25– वनेत्तर भूमि पर	
26– प्रस्ताव को स्वीकृति कराने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा होने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना निर्माण एवं विकास हेतु .....2.25.....है0 आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि 30 वर्षो की लीज की संस्तुति की जाती है।

(आर0पी0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला